नम्बर व त
अहकाम ज
हुक्म की त
में जारी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

नत्थूराम बनाम आदराम आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक 87 / 2019 (2019 / 00087)

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
30.09.2022	पत्रावली प्रार्थना--पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पर आदेश हेतु पेश हुई। वकील अपीलाण्ट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्य 9 खींयाराम पुत्र. चेतनराम की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायज वारीसान प्रार्थना–पत्र में अंकित है जिन्हें रेस्पोडेण्ट संख्या 9 के स्थान पर बतौर रेस्पोडेण्ट संयोजित किया जावे तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 23 के स्थान पर उसके वारिसान को बतौर रेस्पोडेण्ट संख्या 23 / 1 से 23 / 4 के रूप में संयोजित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 9 खींयाराम की मृत्यु दिनांक 05.05.2021 को हो चुकी थी। अपीलाण्ट ने 90 दिन की अवधि में कायम मुकाम हेतु प्रार्थना–पत्र पेश नहीं करने के कारण अपील स्वतः ही अबेट हो चुकी है इसलिए अपील अपीलाण्ट काबिल खारिजी है। रेस्पोडेण्ट संख्या 23 भींयाराम अपील पेश करने से दो वर्ष ही फौत हो चुका था तथा अपीलांट ने जानबूझकर मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील पेश की है। अपील पेश होने के तीन वर्ष तक रेस्पोडेण्ट संख्या 23 के कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया। अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं0 9 व 23 एक ही गांव के स्थाई निवासी है अपीलाण्ट को इनके फौत होने की जानकारी फौतगी की दिनांक से रही है लेकिन अपीलाण्ट ने जान बूझकर रेस्पोडेण्ट संख्या 9 के कायम मुकाम को 1 वर्ष बाद पेश किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 23 अपील पेश. करने से दो वर्ष पूर्व फौत हो चुका था जिसके	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कायम मुकाम हेतु प्रार्थना–पत्र मृत्यु से पाच वर्ष बाद व अपील पेश होने के तीन वर्ष बाद पेश किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र में कतई स्पष्ट व उचित कारण नहीं बताया है कि अपीलाण्ट को उनकी मृत्यु की जानकारी कब हुई। रेस्पोडेण्ट सं0 9 के वारीसान को रिकार्ड पर लेने हेतु निर्धारित अवधि में उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश नहीं करने के कारण अपील स्वतः अवैट हा चुकी है तथा रेस्पोडेण्ट सं0 23 अपील पेश करने से पूर्व फौत होने के कारण मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश करने के कारण अकृत एवं शून्य होन के कारण प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है। अतः अपील अबैट होने एवं अकृत एवं शून्य होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

रेस्पोडेण्ट संख्या 9 खींयाराम की मृत्यु दिनांक 05.05.2021 को हो चुकी थी। अपीलाण्ट ने 90 दिन की अवधि में कायम मुकाम हेतु प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया इसी प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 23 अपील पेश करने से दो वर्ष पूर्व फौत हो चुका था जिसके कायम मुकाम हेतु प्रार्थना–पत्र मृत्यु से पाच वर्ष बाद व अपील पेश होने के तीन वर्ष बाद पेश किया गया है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं0 9 व 23 एक ही गांव के निवासी है अपीलाण्ट को इनके फौत होने की जानकारी फौतगी के दिनांक से रही है अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र में कोई उचित कारण नहीं बताया है कि अपीलाण्ट की उनकी मृत्यु की जानकारी कब हुई। रेस्पोडेण्ट सं0 9 के वारीसान को रिकार्ड पर लेने हेतु निर्धारित अवधि में प्रार्थना–पत्र पेश नहीं करने के कारण अपील स्वतः अवैट हो चुकी है तथा रेस्पोडेण्ट सं0 23 अपील पेश करने से पूर्व फोत हाने के कारण मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश करने के कारण अकृत एवं शून्य होन के कारण प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है। अतः अपील अबैट होने तथा अकृत एवं शून्य होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

30/9/22

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़